(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2288–दो/2015, विरूद्ध आदेश दिनांक 06–07–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार, टप्पा उन्हेल जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण् कमांक 05/अ–13/2014–2015

.....

रानीबाई पति किशन जी
निवासी–ग्राम सुरजाखेड़ी,
तहसील–नागदा

..... आवेदक

विरूद्ध

1– धनजी पिता अमरसिंह
2– बनेसिंह पिता अमरसिंह
3– अवन्ताबाई पति हटेसिंह
4– कमलाबाई पति शंकरलाल
5– धुलीबाई पति मानसिंह
6– कैलाशबाई पति कालुजी
7– सेवाराम पिता आत्माराम
निवासीगण–ग्रम सुरजाखेड़ी, तहसील नागदा
8– राधेश्याम पिता कनीराम
निवासी–ग्राम पिपल्याडाबी, कृषक ग्राम सुरजाखेड़ी
9– रामसिंह पिता रूगनाथजी
निवासी–झरोलिया, कृषक ग्राम सुरजाखेड़ी
तहसील नागदा

..... अनावेदकगण

.....

श्री राजशेखर शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 08 सितम्बर 2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, टप्पा उन्हेल

जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण में स्थगन निरस्ती के आवेदन पत्र पर आवेदक के अभिभाषक एवं अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा याचिका में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक के लिए मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे जाकर अनावेदक ने फसल बोई है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्याालय ने आवेदक की कृषि भूमि से कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं होने के बाद भी रास्ता देने के आदेश देने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने शासकीय नक्शे को संज्ञान में न लेकर जिससे स्पष्ट है कि कोई रूढीगत रास्ता ही नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता खोलने का आदेश देने में त्रुटि की है। आवेदक की आपत्ति को विचार में न लेकर अवैध रूप से बिना तर्क श्रवण किये आदेश पारित किया है।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक ने ग्राम सुरजाखेड़ी, तहसील–नागदा स्थित भूमि आवेदक को 4 वर्ष पूर्ण रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से विकय की थी। विकय पत्र में रास्ते का लेख था जिसके आधार पर पिछले कई वर्षों से अनावेदकगण सहित सभी लोग विकय पत्र में दर्शाये रास्ते का उपयोग कर रहे थे। आवेदक ने विकय पत्र संपादित करते समय उक्त रास्ते पर सहमति व्यक्त की थी। आवेदक द्वारा ट्रैक्टर से जोतकर उक्त रूढिगत रास्ते को बंद कर दिया है। अनावेदकगण द्वारा धारा 32 का आवेदन दिया था जिसपर सभी की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। तहसीलदार ने स्वयं स्थल निरीक्षण किया जिसमें उनके द्वारा मौके पर रास्ता पाया। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 32 के आवेदन को स्वीकार करते हुये अस्थाई रूप से रास्ता खोलने के आदेश दिये हैं। अतः निगरानी में दिया गया स्थगन समाप्त किया जाकर निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि अनावेदकगण ने संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन तहसील न्यायालय में रूढ़िगत मार्ग को खुलवाने हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 6–7–2015 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 32 के आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात संलग्न दस्तोवजों, मौका पंचनामा एवं रजिस्ट्री के आधार पर परम्परागत रास्ता होने जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध करना पाया। उक्त रास्ते के अवरोध हटाकर रास्ता प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित किया है। स्पष्ट है तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश है जिसे धारा 32 के अन्तर्गत पारित किया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 32 राजस्व न्यायालयों को अन्तर्निहित शक्तियां प्रदान करता है जिसका उपयोग कर तहसीलदार ने आदेश पारित किया है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उक्त आदेश यथावत रखा जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह विधिवत साक्ष्य लेकर धारा 131 की प्रकिया का पालन कर अधिकतम तीन माह में गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। इस प्रकरण में पूर्व में दिनांक 22–7–2015 को जारी स्थगन आदेश भी समाप्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर